न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय 01, गाजियाबाद।
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1297/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या – 3122/2026
CNR NO. UPGZ010068342026
नितेंद्र सिंह पुत्र देवराज सिंह, निवासी हाल सी०आर०पी०एफ० हैड क्वाटर सै० 43 वी चंडीगढ़।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य।

.....अभियोजन पक्ष।

दिनांकः–30.06.2026

अभियुक्त नितेंद्र सिंह पुत्र देवराज सिंह द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 304/2026 थाना इंद्रापुरम, गाजियाबाद में धारा 69, 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत प्रदान किये जाने हेतु यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1297/2026 (मय शपथपत्र) दाखिल किया गया है।

मुकदमा अपराध संख्या 0304/2026 उपरोक्त की केस डायरी के अवलोकन पर यह ज्ञात है कि यह प्रकरण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या द्वितीय गाजियाबाद द्वारा विविध वाद संख्या 32/2026 अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद पर पारित आदेश दिनांकित 08.04.2026 के अनुपालन में थाना इंदिरापुरम पर दिनांक 16.04.2026 को समय 02:43 पर पंजीकृत किया गया है।

वादिया द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर कथन किया गया है कि अभियुक्त नितेंद्र सिंह ने उसे शादी का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये, उसे बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया तथा पहले से विवाहित होते हुए भी प्रार्थिनी को अपनी पत्नी के रुप में प्रस्तुत करता रहा। अभियुक्त ने छलपूर्वक प्रार्थिनी का नाम बदलकर "माही" करवा दिया, जो कि उसकी वैध पत्नी का नाम है, तथा प्रार्थिनी के शैक्षणिक व पहचान संबंधी दस्तावेजों में भी नाम परिवर्तन करवा दिया, जिससे गंभीर धोखाधड़ी, जालसाजी एवं कूटरचना के अपराध कारित हुए। अभियुक्त के झूठे वादे एवं धोखे के कारण प्रार्थिनी से एक पुत्र का जन्म हुआ। बाद में जब वादिनी को अभियुक्त के पूर्व विवाहित होने की जानकारी हुई, तब अभियुक्त एवं उसके परिवारजनों ने पुनः विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसे मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताड़ित किया। अभियुक्त और पीड़िता के बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और तस्वीरें प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न हैं। अभियुक्त और उसके परिवारजनों के द्वारा प्रार्थिनी के साथ बार बार मारपीट की गयी तथा उसे और उसके नाबालिग पुत्र को जान से मारने एवं बच्चे को छीन लेने की धमकियाँ दी गयीं। जिससे प्रार्थिनी निरंतर भय व मानसिक आघात में जी रही है। अभियुक्त ने जानबूझकर प्रार्थिनी का नाम अपनी पत्नी के नाम पर परिवर्तित कराया, ताकि भविष्य में यह दिखाया जा सके कि बच्चा उसकी वैध पत्नी से उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार प्रार्थिनी को उसके नाबालिग पुत्र से अलग किया जा सके। प्रार्थिनी को यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अन्य महिलाओं के साथ भी अवैध संबंधों में लिप्त है। और प्रारंभ से ही उसका प्रार्थिनी से विवाह करने का कोई इरादा नहीं था। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त नितेंद्र सिंह सपना मेहर नाम की लड़की के

साथ भी धोखाधड़ी और झूठ बोलकर अवैध संबंधों में है। अभियुक्त के साथ साथ उसके परिवार के सदस्य जिनमें उसके पिता देवराज सिंह, माता सत्यवती देवी, भाई विपिन तथा पत्नी माही @ राखी शामिल हैं, सभी एक जुट होकर प्रार्थिनी के विरुद्ध आपराधिक षड़यंत्र रच रहे हैं। उपरोक्त सभी अभियुक्तगण सामूहिक रुप से प्रार्थिनी को विभिन्न माध्यमों से यह धमकी दे रहे हैं कि यदि उसने कानूनी कार्यवाही जारी रखी तो उससे और उसके नाबालिग पुत्र को जान से मार दिया जायेगा तथा उसका बच्चा उससे जबरन छीन लिया जायेगा। उपर्युक्त अभियुक्त के साथ की हुई बातचीत की ऑडियो पेन ड्राईव के माध्यम से तस्वीरे इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न हैं। अभियुक्त की पत्नी माही @ राखी भी इस पूरे षड़यंत्र में सक्रिय रुप से सम्मिलित है और वह भी प्रार्थिनी को धमकाकर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही है। अभियुक्तों की सामूहिक धमकियों, आचरण एवं षड़यंत्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिनी व उसके नाबालिग पुत्र की जान को गंभीर एवं तात्कालिक खतरा है, तथा किसी भी समय उनके साथ कोई गंभीर आपराधिक कृत्य किया जा सकता है। प्रार्थिनी ने इन सभी घटनाओं के संबंध में स्थानीय पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं अन्य सक्षम प्राधिकरणों को लिखित शिकायतें दीं परंतु आज तक न तो प्राथमिकी दर्ज की गयी और न ही कोई सुरक्षा प्रदान की गयी है। पुलिस की निष्क्रियता के कारण अभियुक्तों का मनोबल बढ़ता जा रहा है तथा प्रार्थिनी को विवश होकर इस माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्त नितेंद्र सिंह उसके पिता देवराज सिंह, माता सत्यवती देवी, भाई विपिन तथा पत्नी माही @ राखी द्वारा संयुक्त रुप से गंभीर संज्ञेय अपराध किये गये हैं, जिनकी निष्पक्ष एवं गहन विवेचना अत्यंत आवश्यक है। शादी का झूठा वादा कर बनाये गये शारीरिक संबंधों से प्रार्थिनी के एक बच्चा हुआ। बच्चे के जन्म के बाद प्रार्थिनी को यह सच्चाई पता चली कि आरोपी पहले से शादीशुदा है पर आरोपी तथा उसके परिवार वाले उसे गुमराह करके आश्वासन देते रहे कि जल्द ही प्रार्थिनी की शादी आरोपी नितेंद्र सिंह से करवा दी जायेगी ताकि प्रार्थिनी वहीं रहे। जब प्रार्थिनी आरोपी से शादी की बात करती, वह उसे शारीरिक रुप से मारता पीटता था तथा बच्चे के साथ भी क्रूरता करता था। आरोपी लगातार धमकी देता रहा कि यदि प्रार्थिनी ने किसी को सच्चाई बतायी तो वह उसे व बच्चे को बुरी तरह पीटेगा तथा बच्चा भी प्रार्थिनी से छीन लेगा। प्रार्थी ने आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करायी, तब सभी आरोपी एकजुट होकर उसे फोन कर डराने धमकाने की कोशिश की तथा उसके खिलाफ झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। आरोपी और उसके परिवार वालों ने लगातार प्रार्थिनी पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। इस अपराध के संबंध में शिकायतकर्ता माही ने अपराधी नितेंद्र सिंह के खिलाफ दिनांक 12 जनवरी 2026 को गाजियाबाद इंदिरापुरम उत्तर प्रदेश पुलिस थाना में शिकायत की एवं कार्यवाही हेतु गुहार भी लगायी। परंतु किसी ने भी नितेंद्र सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद को आदेशित किया जावे कि वह विरुद्ध आरोपी नितेंद्र सिंह के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज की जाये। व प्रार्थिनी एवं बच्चे को आरोपी एवं उसके परिवार से सुरक्षा प्रदान की जाये। बच्चे के लिए आरोपी से पूरा भरण पोषण (मेंटेनेंस) दिलवाया जाये। व आरोपी से लिखित में यह सुनिश्चित करवाया जाये कि भविष्य में आरोपी या उसके परिवार का मुझसे और मेरे बच्चे से कोई संबंध या हस्तक्षेप नहीं रहेगा। व आरोपी द्वारा बदले गये मेरे नाम एवं दस्तावेजों की जांच कर उचित कार्यवाही की जाये। व सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि वो सही तरह

से जांच पड़ताल करें। शिकायतकर्ता माही (चेतना) की सुरक्षा बंदोवस्त करे जिससे कि वो बिना भय के रह सके।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि उसे प्रकरण में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। उसके द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक व समय अंकित नहीं है जिससे घटना अभियुक्त के विरुद्ध झूठी दर्ज करायी जाना प्रतीत होती है। वादिया द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) BNSS झूठे तथ्यों पर कानूनी सलाह पर दिया गया है। वादिया का बयान कि उसे बहला फुसलाकर संबंध बनाये गये हैं गलत है क्योंकि वादिया की आयु संबंधी प्रमाणपत्रों के अनुसार वह वयस्क है। वादिया शादीशुदा है जिसके पति का नाम अरविंद कुमार है जो ग्राम मनोटा याकूबपुर जिला अमरोहा का रहने वाला है। उक्त तथ्य को अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) BNSS पर वादिया द्वारा प्रदर्शित न करते हुए न्यायालय को गुमराह किया गया है जो स्वयं एक आपराधिक कृत्य है। अभियुक्त का कथन है कि अब से कुछ समय पूर्व वादिया का उससे संपर्क हुआ था और वादिया ने स्वयं बताया कि वह अपने पति से पीड़ित एक असहाय महिला है तथा उसे एक सहारे की आवश्यकता है। अगर उसे सहारा नहीं मिलता है तो वह भूखी मर जायेगी और आत्महत्या कर लेगी। प्रार्थी /अभियुक्त को वादिया की बातों पर विश्वास हो गया और उसने वादिया को अपने साथ रहने का आश्वासन दे दिया। इसी दौरान प्रार्थी /अभियुक्त के वादिया के कहने पर शारीरिक संबंध स्थापित हो गये। अभियुक्त द्वारा वादिया को कभी भी शादी का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था क्योंकि वह जानता था कि वादिया शादीशुदा है और वह स्वयं भी शादीशुदा है जिस कारण वह किसी अन्य महिला से शादी नहीं कर सकता। अभियुक्त के अपने ड्यूटी पर चले जाने के दौरान वादिया घर से गायब रहती थी। अभियुक्त व वादिया लगभग तीन वर्ष साथ रहे। इसी दौरान वादिया के मन में बदनीयती आ गयी और वह अभियुक्त से पचास लाख रुपये की अवैध मांग करने लगी और धमकी देती थी कि यदि उसकी मांग पूरी नहीं कि तो वह अभियुक्त और उसके परिवार को झूठा मुकदमें में जेल भिजवा देगी। अभियुक्त का कथन है कि वादिया आज भी मुकदमा समाप्त करने के लिए अवैध धन की मांग कर रही है। अभियुक्त का कथन है कि वादिया के द्वारा अपने आधार कार्ड में अपना नाम व आयु स्वयं जाकर बदलवायी गयी है जिसकी जानकारी अभियुक्त को नहीं थी और न ही प्रार्थी /अभियुक्त ने कभी भी ऐसा करने के लिए कहा है क्यों कि प्रार्थी /अभियुक्त को ऐसा करने (नाम बदलने) से कोई लाभ किसी प्रकार का होने वाला नहीं था। अभियुक्त के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। जो भी साक्षी प्रदर्शित किये हैं, हितबद्ध हैं। आवेदक एक सम्मानित परिवार का सदस्य है और वह सी०आर०पी०एफ० में कार्यरत है। अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने पर अभियुक्त के गवाहान तोड़ने अथवा न्यायालय के क्षेत्राधिकार से फरार होने का अंदेशा नहीं है। अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत आदेश में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेगा। अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि हेतु जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः प्रार्थना की है कि दौरान विवेचना अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं संलग्न शपथपत्र पर अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य अग्रिम जमानत किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

मेरे द्वारा अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा विद्वान अधिवक्ता (निजी) वादिया को उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया है तथा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 304/26 थाना इंदिरापुरम की केस डायरी (अद्यतन दिनांकित 16.6.26) का परिशीलन किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.6.26 को हुई सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वादिया के आधार कार्ड के संबंध में आख्या आहूत की गयी थी। उक्त आख्या दिनांकित 28.6.26 आज थाना इंदिरापुरम के उ०नि० आकाश के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। मेरे द्वारा उक्त आख्या का भी अवलोकन किया गया है।

अद्यतन विवेचना में विवेचक के द्वारा केस डायरी दिनांकित 18.4.26 पर वादिया /पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 180 BNSS अंकित किया गया है। उक्त बयान में वादिया के द्वारा विवेचक को अपनी आयु 21 वर्ष बतायी गयी है। वादिया के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 BNSS में अपने पूर्व से विवाहित होने का कथन नहीं किया गया है। वादिया द्वारा इस बयान में कथन किया गया है कि अभियुक्त नितेंद्र के द्वारा उसे वर्ष 2024 में कक्षा 10 की पढ़ाई करायी और फार्म भरते समय वादिया का नाम वादिया ने नितेंद्र के कहने पर चेतना राजपूत से माही रखा। वादिया द्वारा इसी बयान में विवेचक के द्वारा पुनः प्रश्न करने पर यह उत्तर दिया गया है कि नहीं उसने स्वयं अपना नाम बदलकर माही नहीं रखा था अपितु नितेंद्र ने ही खुद से उसका नाम बदलकर माही भरा था। इस प्रकार बयान अंतर्गत धारा 180 BNSS में वादिया के द्वारा विरोधाभासी कथन किया जाना परीलक्षित होता है।

केस डायरी के अवलोकन पर यह ज्ञात है कि वादिया /पीड़िता के द्वारा विवेचक द्वारा उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजने पर दिनांक 18.4.26 को परीक्षणकर्ता चिकित्सक को अपनी मर्जी से अपनी बाहरी व आंतरिक जांच कराने से मना किया गया है। विवेचक के द्वारा केस डायरी दिनांकित 20.4.26 पर पीड़िता की हाईस्कूल मार्कशीट व आधार कार्ड स्वयं वादिया द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर उक्त प्रपत्रों का अवलोकन कर केस डायरी पर उल्लेख किया गया है।

दिनांक 20.4.26 की केस डायरी पर विवेचक के द्वारा वादिया का बयान अंतर्गत धारा 183 BNSS अवलोकन उपरांत अंकित किया गया है। उक्त बयान में भी पीड़िता के द्वारा अपनी आयु 21 वर्ष बतायी गयी है। इस बयान में वादिया /पीड़िता के द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन किया गया है कि वह कक्षा दस तक पढ़ी है। सन् 2022 में नितेंद्र सिंह से उसकी मुलाकात हुई तथा वे दोनों relationship में थे। नितेंद्र सिंह ने शादी का वायदा किया तथा सन् 2023 में नितेंद्र उसे दिल्ली लेकर आये। वे दोनों 4 साल live in relationship में रहे शादी की बात पर नितेंद्र टालता रहता था। उनका एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ है तथा जिसकी आयु 2 वर्ष है। जब वह गर्भवती थी तब उसे पता चला कि नितेंद्र शादीशुदा है। सन् 2024 में जब उसने नितेंद्र से शादी के लिए कहा तो नितेंद्र,सत्यवती, देवराज व विपिन ने उसके साथ मारपीट व गाली गलौच करी। वादिया के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 183 BNSS में महत्वपूर्ण रुप से कथन किया गया है कि उसके माता पिता का Divorce हो चुका है तथा 6 7 साल वह अनाथ आश्रम में रही। उसके पापा ने दूसरी शादी करी तथा उसे अनाथ आश्रम से लेकर आये। उसकी गांव में ही नितेंद्र से जान पहचान हुई तथा शादी का झांसा देकर उसने शारीरिक संबंध बनाये जिससे उनका बच्चा हुआ। नितेंद्र ने उसे दसवीं

Open से कराया तथा उसका नाम बदलकर माही किया क्योंकि उसकी पत्नी का नाम भी माही है। नितेंद्र तथा उसके परिवार वालों ने वादिया से यह झूठ बोला कि वह शादीशुदा नहीं है जबकि उसकी शादी हो चुकी है।

मेरे द्वारा संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन कर यह पाया गया है कि पीड़िता के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कहीं भी (तहरीर, बयान अंतर्गत धारा 180 BNSS अथवा बयान अंतर्गत धारा 183 BNSS) यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वादिया/ पीड़िता अभियुक्त नितेंद्र के संपर्क में आने के पूर्व विवाहिता थी। उपनिरीक्षक आकाश (विवेचक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में इस न्यायालय द्वारा आहूत आख्या पर निम्न उल्लेख किया गया है–

"तत्पश्चात् मुझ उ०नि० /विवेचक द्वारा वादिया मुकदमा के पिता चंद्रपाल सिंह पुत्र बलबीर सिंह निवासी ग्राम फौंदापुर थाना गजरौला, जनपद अमरोहा मो०नं० 9756298738 से संपर्क कर उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी की गयी तो वादिया मुकदमा के पिता द्वारा अवगत कराया गया कि मेरी पुत्री का नाम चेतना उर्फ चंचल है तथा मैंने वर्ष 2017 में अपनी पुत्री चेतना उर्फ चंचल की शादी अरविंद पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम मनौटा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा से की थी। किंतु वर्ष 2022 में मेरी पुत्री चेतना उर्फ चंचल बिना किसी को बताये अपने पति अरविंद को छोड़कर कहीं चली गयी तथा मेरी पुत्री चेतना उर्फ चंचल अपने साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट भी ले गयी थी। जिसके बाद मेरा अपनी पुत्री से कोई संबंध नहीं है और न ही रखना चाहता हूँ। वादिया मुकदमा के पिता चंद्रपाल सिंह पुत्र बलबीर सिंह निवासी ग्राम फौंदापुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा मो० नं० 9756298738 का आधार कार्ड संलग्न है। तत्पश्चात् मुझ विवेचक द्वारा वादिया मुकदमा के पूर्व पति अरविंद पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम मनौटा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा मो०नं० 7983469994 से जरिये दूरभाष संपर्क कर मुकदमा उपरोक्त की वादिया चेतना उर्फ माही के बारे में जानकारी की गयी तो बताया कि सर उसका नाम चेतना उर्फ चंचल है तथा मेरी तथा चेतना की शादी वर्ष 2017 में हुई थी तथा शादी के कुछ समय बाद मैंने चेतना के आधार कार्ड में उसके पिता के नाम की जगह अपना नाम चेंज करवा दिया था लेकिन वर्ष 2022 के अप्रैल माह के अंत में चेतना बिना बताये मेरे घर से किसी के साथ कहीं चली गयी तथा अपने साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट भी ले गयी थी। जिस कारण मैं, उसके आधार में अपना नाम नहीं चेंज करवा सका था। मैंने उसे काफी ढूंढने का प्रयास किया किंतु चेतना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। लेकिन करीब एक माह पहले मेरे पास सी०आर०पी०एफ० की तरफ से मेरे घर में एक एंकवायरी आयी तब मुझे पता चला कि चेतना किसी सी०आर०पी०एफ० के सिपाही के साथ रह रही है। जिसके बाद मैंने सी०आर०पी०एफ० की तरफ से जो जांच करने आये थे उनको मैंने अपने ग्राम प्रधान की तरफ से एक लिखित तहरीर दी थी जो आपको भी उपलब्ध करा रहा हूँ। जो संदर्भ हेतु संलग्न है।"

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विवेचक के द्वारा वादिया के पिता एवं पूर्व पति से संपर्क कर यह ज्ञात कर लिया गया है कि वादिया /पीड़िता का विवाह वर्ष 2017 में उसके पिता चंद्रपाल सिंह के द्वारा अरविंद पुत्र रमेश सिंह से कराया गया था। वादिया /पीड़िता वर्ष 2022 के अप्रैल माह के अंत में अपने पति को बिना बताये घर से किसी के साथ चली गयी थी तथा साथ ही अपने सभी डॉक्यूमेंट /अभिलेख भी ले गयी थी। वादिया /पीड़िता के द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) BNSS पर इस महत्वपूर्ण

कथन का लोप किया गया है कि अभियुक्त नितेंद्र के संपर्क में आने के पूर्व वह विवाहिता थी। अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर इस कथन को प्रस्तुत किया गया है तथा इस न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त के इस कथन की पुष्टि कि वादिया /पीड़िता पूर्व से विवाहिता थी, विवेचक की आख्या दिनांकित 28.06.2026 से होती है। इस प्रकार यह तथ्य प्रथम दृष्टया झूठा साबित होता है कि अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को शादी का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ यौनाचार किया गया हो।

प्रकरण के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त न करते हुए, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय के मत में अभियुक्त नितेंद्र सिंह का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त नितेंद्र सिंह पुत्र देवराज सिंह, की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1297/2026 स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रुपये 50,000/– रुपये (पचास हजार रुपये) का स्व–बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टी पर दाखिल की जायें, तो प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 30.06.2026

(निशान्त मान)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय–1, गाजियाबाद।
जे०ओ० कोड UP1790